(TO BE PUBLISHED IN PART II SECTION 3(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA)

eF. No. 6/2/2026-BO.I/1
Government of India
Ministry of Finance
Department of Financial Services

New Delhi, Dated the 09th October 2026
Asvina 17, 1948 (Saka)

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby nominates Shri Sushil Katara (DoB: 10.12.1975) as Part-time Non-Official Director on the Board of Directors of Punjab National Bank, for a period of three years from the date of issuance of this notification, or until further orders, whichever is earlier.

(Sanjay Kumar Mishra)
Under Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area, Ring Road,
New Delhi

(भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3(ii) में प्रकाशनार्थ)

ई.फा. सं. 6/2/2026-बी.ओ. I/1

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 09 अक्टूबर 2026

अश्विन 17, 1948 (शक)

अधिसूचना

बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार, श्री सुशील कटारा (जन्मतिथि: 10.12.1975) को इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पंजाब नेशनल बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नामित करती है।

संजय.

(संजय कुमार मिश्र)

अवर सचिव भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,

रिंग रोड,

नई दिल्ली